तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/4215/2025/जयपुर</u>** **कालूराम बनाम धूड़ाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–
श्री लवप्रताप सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी

दिनांकः 27–05–2025

<u>निर्णय</u>

यह निगरानी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 32/2021 में पारित आदेश दिनांक 12–05–202 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वादीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के साथ एक प्रार्थना अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र को खारिज करने का निवेदन किया। वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए वादीगण के देहान्त होने पर मृतक के वारिसानों को नोटिस तलवाना प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा आदेश की अवहेलना के आधार पर वादीगण/प्रार्थीगण का वाद पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12–05–2025 को अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 सपठित धारा 151जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/प्रार्थीगण का वादपत्र अदम तकमील में खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण/प्रार्थीगण मृतक भागीरथ के कायम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/4215/2025/जयपुर</u>** **कालूराम बनाम धूड़ाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुकामान बाहर फोज में व अन्य नौकरी करने के कारण उनका वकालतनामा प्रस्तुत करने में प्रार्थीगण असमर्थ रहे हैं। जो मजबूरीवश पेश नहीं कर पाए परन्तु न्यायालय द्वारा नोटिस तलवाना पेश नहीं करने के आदेशानुसार प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा मृतक के वारिसानों का सीधे ही वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया गया है। इसलिए नोटिस तलवाना की आवश्यकता ही नहीं रही। इस कारण वादीगण अप्रार्थीगण का यह कथन उत्तरदाता द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय के आदेशानुसार मृतक के कायम मुकाम की ओर से वकालतनामा पेश किया जा चुका है जो पत्रावली में ऑन रिकॉर्ड है इसलिए उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य था किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण/प्रार्थीगण का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–05–2025 को निरस्त किया जावे एवं प्रतिवादी/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 सपठित धारा 151 जा0दी0 को खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 12–05–2025 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अदम तकमील में खारिज किया गया। प्रार्थी संख्या 3 भागीरथ के कायम मुकाम की कार्यवाही न्यायालय के निर्देशों के बाद भी पूर्ण नहीं की है जिससे प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया है। निगराकार ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4215/2025/जयपुर** **कालूराम बनाम धूड़ाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मण्डल में निगरानी प्रस्तुत कर उस त्रुटि को दूर करने की प्रार्थना की है। निगराकार को सद्भावी त्रुटि को दुरूस्त करने तथा कायम मुकामान की कार्यवाही करने के लिए एक अवसर रजि0 डाक से तामील करवाने का प्रदान किया जाना चाहिए। भविष्य में भी निगराकार ने प्रकरण के निस्तारण में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का आश्वासन दिया है। यदि किसी वाजिब पक्षकार को उसका पक्ष रखने के अधिकार को सामान्यतः वंचित किया जाना उचित नहीं है। अतः न्यायहित में पक्ष रखने को संरक्षित किया जाना चाहिए। अतः इस त्रुटि को सुधारने के लिए एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कथनों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह निगरानी 1000/–(एक हजार) रूपए की कोस्ट पर स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संख्या 32/2021 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः निगरानी 1000/–(एक हजार) रूपये की कोस्ट पर स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश दिनांक 12–05–2025 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वादी को प्रार्थी संख्या 3 भागीरथ के कायम मुकामान की कार्यवाही हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है। निगराकार/वादी द्वारा कोस्ट की राशि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण को अदा की जावे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16–06–2025 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य